रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 599] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 3, 2011/कार्तिक 12, 1933
No. 599] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 3, 2011/KARTIKA 12, 1933

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 792(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान, 2009 (2010 का 1)की धारा 13 की उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के सम्बन्ध में, विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 32 और उक्त अधिनियम की धारा 18, धारा 27, धारा 28, धारा 29, धारा 30, धारा 33, धारा 34, धारा 35 और धारा 36 के उपबंधों से संबंधित निदेशक, विधिक माप विज्ञान द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियां, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के विधिक माप विज्ञान नियंत्रकों को, उक्त राज्य सरकार की सहमति से, इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित करती है कि अधिनियम और नियमों के उक्त उपबंधों के अधीन दर्ज किए गए शमनीय, अभियोजित और सिद्धदोष मामलों की संख्या को दर्शाते हुए की गई कार्रवाई की तिमाही रिपोर्ट, निदेशक, विधिक माप विज्ञान, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार को भेजी जाएगी ।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-9(16)/2011]

मनोज कुमार परिडा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2011

G.S.R. 792(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 13 of the Legal Metrology Act, 2009 (No. 1 of 2010), the Central Government hereby delegates to the Controllers of Legal Metrology in the States of Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal, with the consent of the said State Government all the powers exercisable by the Director of Legal Metrology pertaining to the provisions of Section 18, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35 and 36 of the said Act and under rule 32 of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 in relation to inter-State trade and commerce, subject to the conditions that a quarterly report of action taken under the said provisions of the Act and rules containing the number of cases booked, compounded, prosecuted and convicted shall be sent to the Director of Legal Metrology, Department of Consumer Affairs, Government of India.

[F. No. WM-9(16)/2011]

MANOJ KUMAR PARIDA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.